सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 1- सहभागी सिंचाई प्रबंधन की आवश्यकता

विषय 1.3 सहभागी सिंचाई प्रबंधन की अवधारणा तथा आवश्यकता

विषय-1.3

सहभागी सिंचाई प्रबंधन की अवधारणा तथा आवश्यकता

मॉड्यूल-1 के विषय

1.1 देश में कृषि तथा सिंचाई की स्थिति

1.2 पारंपरिक नहर सिंचाई प्रबंधन की समस्याएँ

1.3 सहभागी सिंचाई प्रबंधन की अवधारणा तथा आवश्यकता

1.4 सहभागी सिंचाई प्रबंधन के सफल उदाहरण

1. सहभागी सिंचाई प्रबंधन

सहभागी सिंचाई प्रबंधन को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि सहभागिता किसे कहते हैं।

1.1 सहभागिता क्या है ..?

सहभागिता व सहयोग हालांकि कहने में समानार्थी लगते हैं, लेकिन हैं एकदम अलग-अलग। सहयोग की प्रक्रिया में जहां व्यक्ति एक-दूसरे की सहायता करते हैं जो क्षणिक भी हो सकता है, वहीं ,

- सहभागिता मिलजुल कर जिम्मेदारियाँ बांट कर निर्णय लेने और साथ काम करने की प्रक्रिया है।

- इसमें सभी पक्षों की जिम्मेदारियाँ, अधिकार, लागत व लाभ तय होते है |
- सहभागिता में सभी पक्ष एक साझे और सकारात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिसमें लागत व प्राप्त लाभ में सभी भागीदार होते हैं।
- सहभागिता के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन में सभी पक्षों की साझेदारी हो, उसके प्रति मानसिक व भावनात्मक लगाव हो , कुछ सकारात्मक करने की इच्छा हो।

1.2 सहभागिता का लाभ -

सहभागिता से निर्णय लेने व कार्य करने से -

- पारदर्शिता बढती है |
- कार्य, खर्च व नुकसान का बोझ सभी में बराबर बंट जाता है।
- सभी सहभागियों को समानता के आधार पर लाभ होता है।
- लोगों के ज्ञान, कौशल तथा संसाधनों का सही उपयोग होता है।
- साझी कठिनाईयां दूर होती हैं।
- सबको सन्तोष मिलता है, अच्छा सामाजिक वातावरण पैदा होता है।

1.3 सहभागी सिंचाई प्रबंधन क्या है ..?

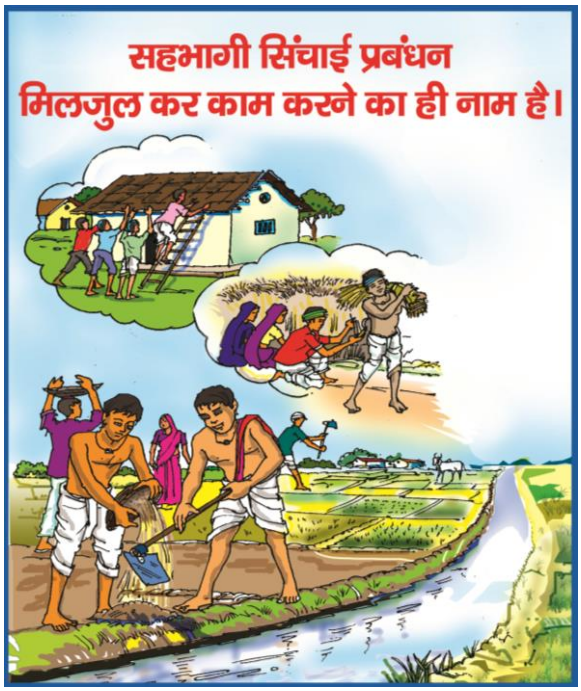

सहभागी सिंचाई प्रबंधन का अर्थ है, नहर सिंचाई प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर सिंचाई प्रबंधन में किसानों एवं विभाग की वित्तीय, प्रशासनिक तथा तकनीकी भागीदारी और बेहतर तालमेल ।प्रत्येक स्तर से मतलब है कुलाबा, अल्पिका, रजबाहा, शाखा, मुख्य नहर आदि सभी नहरें। किसानों की भाषा में कहें तो किसानों की, किसानों के लिए, किसानों के द्वारा संचालित सिंचाई व्यवस्था ही सहभागी सिंचाई प्रबंधन है, जिसमें सिंचाई विभाग मार्ग निर्देशन व जरुरी सहयोग

प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। वित्तीय, प्रशासनिक तथा तकनीकी भागीदारी से तात्पर्य सिंचाई प्रणालियों के योजना एवं निर्माण, चालन, मरम्मत एवं रखरखाव, जल प्रबंधन, वितरण, सींच अंकन, जल के किफायती उपयोग को प्रोत्साहन देने, वित्तीय संसाधन जुटाने, व्यय करने, लेखा-जोखा रखने, विवादों के निराकरण की व्यवस्था बनाने आदि से है। भागीदारी का मतलब सिंचाई विभाग एवं कृषकों द्वारा आपस में विचार-विमर्श कर निर्णय लेने, अपने दायित्वों के निर्धारण करने तथा उस पर संयुक्त रुप से कार्य करने से है।

समस्याओं के समाधान के लिए संगठित रूप में किसानों का सिंचाई विभाग के साथ मिलकर काम करना अत्यंत आवश्यक है। सामूहिक सक्रियता से कई समस्याओं का उपयुक्त हल निकल सकता है। सिंचाई में किसानों एवं सिंचाई विभाग का यह संयुक्त प्रबंध "सहभागी सिंचाई प्रबंधन " के नाम से जाना जाता है।

1.4 सहभागी सिंचाई प्रबंधन का ओचित्य

सिंचाई व्यवस्था को न्यायसंगत बनाने का प्रमुख माध्यम सहभागी सिंचाई व्यवस्था है, जिसके चक्र को नीचे के चित्र में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए यदि किसानों को नहर में पानी की उपलब्धता के बारे में सही जानकारी हो और उसका बंटवारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार तय हो तो सिंचाई के लिए पानी सही समय पर मिल सकता है। इससे किसानों की उपज बढ़ेगी और उनकी आय भी। बदले में उनका इस व्यवस्था पर विश्वास जमेगा और नहरों से अपनापन

सहभागी सिंचाई प्रबंधन में शासन की स्पष्ट समझ है कि कृषि व जल से किसानों का अटूट नाता है और नहरें किसानों की जीवन रेखा सरीखी हैं । नहर सिंचाई प्रणाली की उचित देखभाल व चिरस्थाई सिंचाई व्यवस्था का निर्माण तभी संभव है, जब इसमें किसानों को सिंचाई के नियोजन, संचालन तथा अनुश्रवण में अग्रणी भूमिका दी जाये।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन में सिंचाई जल का उपभोग करने वाले लाभार्थियों के संगठनों का गठन किया जाता है जिन्हें जल उपभोक्ता समिति के नाम से जाना जाता है।

बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि नहरों की टूट-फूट में कमी आयेगी, जिससे सिंचाई प्रणालियों के रखरखाव व्यय में कमी आयेगी और किसान सिंचाई की अनिश्चितता से मुक्ति पा सकेंगे।

इसमें दो राय नहीं कि सहभागी सिंचाई प्रबंधन के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसानों को सांगठनिक स्तर पर सहभाग करना होगा। इन संगठनों को जल उपभोक्ता समिति कहेंगे। इनका गठन कमाण्ड क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होगा।

चित्र 2: सहभागी सिंचाई प्रबंधन का चक्र

1.5 क्या सहभागी सिंचाई प्रबंधन संभव है ..?

हमारे देश में सहभागिता कोई नई बात नहीं है। खेती-किसानी और रोजमर्रा के कामों में किसान हमेशा से सहभाग और एक-दूसरे की मदद करते आये हैं। खेती-किसानी का काम तो ऐसा है कि बिना सहभाग के हो ही नहीं सकता। बात चाहे

फसल की रोपाई और कटाई की हो या छान छाने की हो, गांवों में आज भी कई काम जैसे शादी-विवाह इत्यादि में लोग एक-दूसरे के काम में हाथ बंटाते हैं और इसके फायदे सब जानते है।